न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/2019
आरसीएमएस नं0 2019/00075
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

1. मोहब्बत अली पुत्र श्री शाह मोहम्मद उर्फ सादू जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (राज0)
2. नूरनबी पुत्र श्री शाह मोहम्मद उर्फ सादू जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. गुलाम नवी पुत्र श्री जलालदीन
2. फैज मोहम्मद पुत्र श्री जलालदीन
3. नाजी खां पुत्र श्री पीर मोहम्मद पुत्र जलालदीन
4. काली खां पुत्र श्री पीर मोहम्मद पुत्र जलालदीन
5. फतिमा पुत्री श्री पीर मोहम्मद पुत्र जलालदीन
6. मरिया पुत्री श्री पीर मोहम्मद पुत्र जलालदीन
7. ज्यामो उर्फ नियामों पुत्री श्री पीर मोहम्मद पुत्र श्री जलालदीन

जाति मुसलमान निवासी मक्कासर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–असल रेस्पोडेण्ट

8. श्रीमान उप पंजीयक हनुमानगढ
9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

बलाल खां –फौत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

10. शकीर पुत्र बलाल खां जाति मुसलमान निवासी मक्कासर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
11. गुजलारा पुत्री बलाल खां पत्नी जीमल खान जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. रज्जो पुत्री बलाल खांन जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
13. नाजो पत्नी बलाल खां जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.06.2011
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
प्रकरण संख्या 10/2008 बअनवान मोहब्बत अली आदि बनाम गुंलाम नबी आदि

श्री खुशप्रीत सिंह संधु अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 8 व 9
श्री भूपेन्द्र सिह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं0 10 ता 13

निर्णय दिनांकः– 19.07.2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन कियाकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम चक 19 एमकेएस खाता सं0 13/16 व चक 20 एमकेएस खाता संख्या 18/18 में भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा घरू बंटवारा के अनुसार दोनों चकों की भूमि पर काबिज है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 7 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 8 से 13 की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के हितों की सुरक्षा करना अदालत का दायित्व है लेकिन विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7 के पूर्वज जलालदीन द्वारा अपने हक व हिस्से से ज्यादा आराजी जरिये पंजीकृत बेयनामा बेचान किया जा चुका है। जलालदीन के नाम चक 20 एमकेएस में 36 हिस्सा यानि 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी वरवक्त बैयनामा 30.06.1975 से पूर्व दर्ज रिकार्ड थी परन्तु जलालदीन द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 30.06.1975 को 4 बीघा आराजी विक्रय कर दी है जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं कानूनन के खिलाफ है। जलालदीन के वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7 के नाम 36 हिस्सा यानि 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी चली आ रही है जबकि जलालदीन ने अपने हक हिस्से की आराजी बैय की जा चुकी है उसका कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठते हुए अपने नाम दर्ज आराजी को रेस्पो0 रहन बैय व अन्तरित करने पर उतारू है यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते है। तो अपीलाण्ट का अपूर्णीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने बिना कोई सूचना दिये प्रकरण में नोट प्रेस में खारिज करवा दिया जिसका अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील स्वीकार की जावे।
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 8 ता 13 के अधिवक्तागण ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रालवी का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें 31.01.2008 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। दिनांक 24.06.2011 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर नोट प्रेस किया अर्थात आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट ने अपील पेश की है जिसके अनुसार वह प्रकरण को आगे चलाना चाहता है। नोट प्रेस करने के संबंध में अपीलाण्ट को उसके अधिवक्ता ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कोई सूचना नहीं दी है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के हक अधिकारों का निर्धारण होना है। यदि भूमि को रहन बैय कर दिया जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण को गुणागवुण पर निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाने योग्य है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2011 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ